न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 73/15 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. हनीफ पुत्र पल्टू खां

2. रज्जाक पुत्र पल्टू खां जाति मेवान निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांट

बनाम

1 जुम्मी उर्फ कल्ली पुत्र मल्लड जाति मेव निवासी रींठर तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात हरियाणा

2 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास

3 अब्दुल हमीद पुत्र अमीरी पुत्री गुटारी पत्नी पंछी जाति मेव हाल निवासी ग्राम खुवाजली तहसील पुन्हाना जिला नूंह मेवात हरियाणा

:-- असल रेस्पो0

4 आसु पुत्र सुमेर खां

5 फजरू पुत्र सुमेर खां

6 फजरी पुत्री कंवर सिंह

7 हमीदी पुत्री कंवर सिंह

8 महमूदी पौत्री मल्लड जाति मेवान निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:-- तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास

दिनांक 29.8.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री भूपेन्द्र खटाणा

3. वकील रेस्पो0 शेष :– सर्व श्री रोशनदीन,अजमदखान

निर्णय दिनांक 22.12.2017

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 95/2006 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 29.8.12 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 94, 103, 93 किता 3 रकबा 2–09 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर में 1/2 भाग मृतक मल्लड पुत्र मन्दू की खातेदारी का था । उनकी फौतगी के बाद उसका एक मात्र पुत्र कंवरसिंह तथा वादीगण काश्त करते थे । कंवरसिंह की फौतगी के बाद वादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज हो गये । परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 ने अपने आपको मल्लड की पुत्री बताकर विरासत अपने नाम दर्ज करा ली । जबकि मल्लड की वह पुत्री नहीं है । इस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी आराजीयी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । अतः उन्हें टी0 आई0 से पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
... अधिकारी अलवर

Scanned by CamScanner

3 विद्वान वकील प्रार्थी वादी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये अपनी स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4 विद्वान वकील अप्रार्थी प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि वह मल्लड की जायज पुत्री है । विरासत का इन्तकाल उसके पक्ष में स्वीकार हुआ है । वही विवादित भूमि पर काबिज है । धारा 212 के तीनों बिन्दू उसके पक्ष में साबित है । इनका सही तौर पर धारा 212 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील संख्या 113/12 अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई थी, जिसका अदालत हाजा द्वारा दिनांक 23.1.2014 को निर्णय किया जाकर उक्त अपील खारिज की गई थी । अदालत हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 23.1.2014 के खिलाफ अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो निगरानी निर्णय दिनांक 14. 9.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अदालत हाजा को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया है कि अपील पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का विधिवत अध्ययन करते हुये पुनः नियमानुकूल निर्णय पारित करें । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देश की अनुपालना में अदालत हाजा द्वारा अपील पत्रावली में प्रार्थी अपीलांट द्वारा दिनांक 6.6.13 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन कर निर्णय पारित किया जा रहा है । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :-

1. नकल राजस्व वाद संख्या 127/06 हनीफ खां वगैरा बनाम जुम्मी उर्फ कल्ली वगैरा
2. छाया प्रति दस्तावेज हक त्याग पत्र दिनांक 10.3.2011
3. छाया प्रति हलफनामा दिनांक 10.3.11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4. छाया प्रति राजीनामा दिनांक 10.3.11

5. छाया प्रति नामान्तकरण संख्या 63 ग्राम मिरजापुर

1. राजस्व वाद संख्या 127/2006

यह वाद हनीफ वगैरा ने जुम्मी वगैरा के खिलाफ इस्तकरारहीक मय हुकम इम्तनाई दवामी का प्रस्तुत किया था, जिसमें वादीगण हनीफ वगैरा ने बयान किया था कि खसरा नम्बर हाल 94, 103, 93 वाके ग्राम मिरजापुर तहसील किशनगढबास में 1/2 भाग मृतक मल्लड का था । मल्लड का एक मात्र वारिस कंवरसिंह था, जो फौत हो गया । प्रतिवादी नम्बर 01 जुम्मी मल्लड की पुत्रीíí नहीं है । मल्लड का विधिक वारिस कंवरसिंह हुआ । उसके 3 लडकियां फजरी, हमीदी, महमूदी पैदा हुई । कंवरसिंह के देहान्त के बाद उसकी विधवा ने दीगर जगह घरवासा कर लिया । कंवरसिंह की लडकियों का निकाह वादीगण ने ही किया था । विवादित भूमि पैत्रिक है । इसलिये कंवरसिंह के 1/2 भाग पर वादीगण का हक निहित है ।

2 हक त्याग दिनांक 10.3.11

इसमें फजरी वगैरा ने अंकित किया है कि हाल खसरा नम्बर 93, 94, 103 में 1/2 भाग हमारे दादा मल्लड की कब्जे काश्त खातेदारी का था । कंवरसिंह दादा के एक मात्र संतान हमारे पिता कंवरसिंह हुये । हमारे पिता कंवरसिंह के हम तीनों बहने फजरी, महमूदी व हमीदी जायज वारिस है । हम तीनों बहनों के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है । शादी के बाद से ही हम अपने ससुराल में रहती हैं । हमारे भात,छूछक आदि हमारे चाचा के लडके हनीफ वगैरा भरते हैं । उपरोक्त भूमि पर वे ही काबिज हैं ।विवादित भूमि हमें अपने दादा मल्लड से प्राप्त हुई हैं । हम उसका हक त्याग अपने च्चेरे भाइयों हनीफ वगैरा के पक्ष में करते हैं । इसका इंतकाल वे अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

नाम करा सकते हैं ।

2. हलफनामा दिनांक 10.3.11

इसमें फजरी वगैरा ने बयान किया है कि आराजी खसरा नम्बर 95, 46, 88, 89, 97, 98, 100, 101, 104 पर हनीफ वगैरा काबिज चले आ रहे हैं । हमारा कोई वास्ता नहीं हैं ।

3 राजीनामा दिनांक 10.3.11

इसमें फजरी वगैरा ने निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 94, 103, 93 वाके ग्राम मिर्जापुर में 1/2 भाग वादीगण तथा 1/2 भाग हम तरतीबी प्रतिवादीगण का दर्ज रेकार्ड है । चूंकि उक्त भूमि पर अरसा दराज से लगभग 40 सालों से वादीगण कब्जा है और हम तरतीबी प्रतिवादीगण के मृतक पिता कंवरसिंह के मरने के बाद हमारे अलावा अन्य कोई वारिस जीवित नहीं है और ना ही हमारा उक्त आराजी पर कभी कब्जा रहा है । हमारी शादी निकाह वगैरा बुलाना भात छूछक आदि सभी कुछ वादीगण करते हैं । इसलिये उक्त भूमि वादीगण की ही रहेगी । उक्त भूमि पर वादीगण की खातेदारी की घोषणा कर दी जाये, हम कोई आपत्ति नही है ।

6 नामान्तकरण 63

इसके द्वारा मल्लड की विरासत हनीफ वगैरा के नाम दर्ज की गई थी ।

7 दिनांक 14.11.2017 को असल रेस्पो0 जुम्मी ने भी आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के तहत निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये हैं :-

1. उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा अपील संख्या 11/10 उनवान जुम्मी उर्फ कल्ली बनाम ग्राम पंचायत बृसंगपुर व हनीफ वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.8.12 की फोटो प्रति
2. ग्राम पंचायत बृसंगपुर के प्रमाण पत्र दिनांक 18.9.08 की फोटो प्रति
3. राजस्व वाद संख्या 127/06 में उपखंड अधिकाकरी, किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.6.2008 की फोटो प्रति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1. अपील संख्या 11/10 उनवान जुम्मी उर्फ कल्ली बनाम ग्राम पंचायत बृसंगपुर व हनीफ वगैरा निर्णय दिनांक 13.8.2012

ग्राम पंचायत बृसंगपुर द्वारा मल्लड की विरासत का जो इन्तकाल नम्बर 63 हनीफ वगैरा के पक्ष में खोला गया था, उसके खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की गई थी । इस अपील में उपखंड अधिकारी, तिजारा ने निर्णय दिनांक 13.8.12 द्वारा इन्तकाल नम्बर 63 को निरस्त कर वारिसान की जांच कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को रिमांड किया था ।

2. ग्राम पंचायत बृसंगपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 18.9.08

इसमें जुम्मी उर्फ कल्ली को मल्लड की पुत्री होना एवं गांव मिर्जापुर में रहना बताया गया है ।

3. राजस्व वाद संख्या 127/06 हनीफ वगैरा बनाम जुम्मी वगैरा निर्णय दिनांक 11.6.2008

यह वाद उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा अबेटमैंट में खारिज किया गया है ।

8 अपीलांटस एवं असल रेस्पों0 जुम्मी द्वारा अपने अपने पक्ष में पेश उपरोक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांटस के पक्ष में मल्लड की विरासत का जो इन्तकाल नम्बर 63 दर्ज किया गया था, उसे उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा अपील संख्या 11/10 में निरस्त कर वारिसान की जांच कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को रिमांड कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में इस दस्तावेज के आधार पर अपीलांटस को किसी प्रकार की रिलीफ देय नहीं है ।

9 इसी प्रकार अपीलांटस ने राजस्व वाद संख्या 127/2006 हनीफ वगैरा बनाम जुम्मी वगैरा में बयान किया है कि मल्लड के एक मात्र जायज वारिस कंवरसिंह था, जुम्मी नहीं थी । कंवरसिंह की जायज वारिस उसकी 3 पुत्रियां हमीदी, फजरी व महमूदी हैट । कंवरसिंह फौत हो गया है तथा उसकी विधवा ने घरवासा कर लिया है । वादीगण उसकी आराजी पर काबिज है । वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

ने ही उसकी लडकियों का निकाह किया है । इसलिये आराजी पर वादीगण का हक निहित है । अपीलांटस का यह वाद उपखंड अधिकारी,किशनगढबास द्वारा अबेटमैंट में निर्णय दिनांक 11.6.08 द्वारा खारिज किया जा चुका है । उसने अपने उक्त राजस्व वाद पत्र में मल्लड एवं कवंरसिंह के वारिसान के सम्बन्ध में जो तर्क दिये थे तथा जो रिलीफ चाही थी, वे सब अनिर्णित रह गये । ऐसी स्थिति में मौजूदा अपील में इस दस्तावेज के आधार पर भी अपीलांटस को किसी प्रकार की रिलीफ देय नहीं है ।

10 अपीलांटस ने अपने आदेश 41 नियम 27 के प्रा0पत्र के साथ अन्य जो दस्तावेज हक त्याग दिनांक 10.3.11, हलफनामा 10.3.11, राजीनामा दिनांक 10.3.11 की फोटो प्रतियां पेश की हैं, उनसे भी अपीलांटस को किसी प्रकार की मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दस्तावेज राजस्व वाद पत्र संख्या 127/2006 के लिये तैयार करवाये गये थे और उक्त राजस्व वाद अबेटमैंट में खारिज हो चुका है तथा इन दस्तावेजों पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है ।

11 प्रकरण का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने पर सिद्ध होता है कि पक्षकारान के मध्य विवाद मल्लड की 1/2 भाग की आराजी को लेकर है,जिसके सम्बन्ध में अपीलांटस का कथन है कि मल्लड का एक मात्र वारिस कंवरसिंह था, जिसकी 3 जायज पुत्रियां हमीदा, महमूदी व फजरी है । इनकी शादी अपीलांटस ने की थी । अपीलांटस ही विवादित भूमि पर काबिज है । उसके पक्ष में विरासत का इन्तकाल नम्बर 63 भी खुल चुका है । इसके विपरीत असल रेस्पो0 का कथन है कि मल्लड की जायज वारिस वही है । ग्राम पंचायत ने भी इस बाबत प्रमाण पत्र दिया है । पक्षकारान के तर्कों को सुनने के उपरान्त अदालत हाजा का विनम्र मत है कि हम यहां धारा 212 के प्रा0 पत्र का निस्तारण कर रहे हैं । जिसके लिये तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्तिजनक क्षति को देखना होता है । राजस्व हाल रेकार्ड में विवादित भूमि का 1/2 भाग अपीलांटस के नाम दर्ज न होकर मल्लड के नाम दर्ज है । जहां तक मल्लड की विरासत का इन्तकाल नम्बर 63 अपीलांटस के नाम दर्ज होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में हमारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील ... अधिकारी

Scanned by CamScanner

विनम्र मत है कि यह इन्तकाल उपखंड अधिकारी, तिजारा अपील संख्या 11/10 में निर्णय दिनांक 13.8.2012 द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा वारिसान की जांच कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को रिमांड किया जा चुका है । इस प्रकार अपीलांटस का विरासत इन्तकाल नम्बर 63 खारिज हो चुका है तथा प्रकरण वारिसान की जांच हेतु अभी विचाराधीन है ।

12 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में धारा 212 के तीनों बिन्दू अपीलांटस के पक्ष में साबित नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने है ।

13 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2012 यथावत रखा जाता है ।

14 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner